आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
10/7/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 79/11** **सुरेश मांझी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के आदेश ज्ञापांक 807/आपूर्ति दिनांक 8.10.11 के विरूद्ध वाद दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गयी। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि सुरेश मांझी, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, ग्राम पंचायत झौवा, प्रखंड दिघवारा के दूकान का औचक निरीक्षण अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के द्वारा दिनांक 9.9.11 को 11.15 बजे पूर्वाह्न में किया गया। निरीक्षण के दौरान सम्बद्ध उपभोक्ताओं से पूछताछ करने पर निम्नलिखित शिकायतें प्राप्त की: 1. सुखदेव राय, पिता–स्व0 पिताम्बर राय लाल कूपन धारी के द्वारा बताया गया कि डीलर का पता नहीं चलने के कारण खाद्यान्न नहीं मिला है। 2. यमुना राय, पिता– मोदी राय, लखपति देवी, पति–बीरेन्द्र राय, कृष्ण कन्हैया, लीलावती देवी पति–हरेन्द्र राय के द्वारा बताया गया कि माह जुलाई–अगस्त का खाद्यान्न नहीं मिला है तथा किसी माह में देते भी है, तो निर्धारित मात्रा से कम 15 किलो ही खाद्यान्न देते हैं। अनुज्ञापन पदाधिकारी के ज्ञापांक 713 दिनांक 9.9.11 के द्वारा विक्रेता से स्पष्टीकरण की मॉग की गयी, जिसका जवाब उसके द्वारा नहीं दिया गया जिस कारण से विक्रेता के विरूद्व लगाए गए सभी आरोपों को सही पाते हुए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सोनपुर से मन्तव्य प्राप्त करने के पश्चात् विक्रेता के अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी। अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर का	

जवाब उन ग्रामीणों से पूछताछ की गयी, जिनमें से कुछ अपीलार्थी के उपभोक्ता ही नहीं थे तथा कुछ अपीलार्थी से आपसी वैमनस्य रखते थे। अनुज्ञापन पदाधिकारी उन ग्रापीणों के चरित्र एवं आचरण पर भी विचार करते हुए तथा अपनी न्यायिक विवेक का उपयोग करते हुए यथोचित आदेश पारित करना चाहिए था, जबकि उनके द्वारा ग्राम के कुछ शरारती तत्वों के द्वारा की गयी शिकायतों एवं संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा दिए गए मन्तव्य को आधार बनाकर ऐसा कठोर आदेश पारित कर दिया गया। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता ने अनुज्ञप्ति बहाल करने हेतु अनुरोध किया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विकेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुनने तथा अभिलेख का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के द्वारा विकेता से स्पष्टीकरण का जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में औचक निरीक्षण के कम में पाई गयी सभी शिकायतों को सही मानते हुए विकेता की अनुज्ञप्ति को रद्द करने की कार्रवाई की गयी, जबकि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से यह उचित था कि अपीलार्थी से पुनः द्वितीय कारणपृच्छा किया जाता। शिकायत करने वाले व्यक्तियों के आचरण एवं उनके उपभोक्ता होने की सम्पुष्टि भी उनके द्वारा नहीं की गयी। इस तरह अनुज्ञापन पदाधिकारी का आदेश अपने आप में एक speaking order नहीं है। अतः इसे रिमांड किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 868 दिनांक 13/8/2014

प्रतिलिपि- SDO सोनपुर को LCR मूल में सलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- IVC पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
एवं जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।